सं. 10/2/2013- समन्वय
No. 10/2/2013-Coord.
भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन मंत्रालय
Ministry of Water Resources

नई दिल्ली, दिनांक 03 JUL 2014
New Delhi, Dated 03 JUL 2014

विषय : मंत्रिमंडल समिति से सबधित मामले के सन्दर्भ में ।
Subject:- Matters of Cabinet Committee - regarding.

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
आदेश सं0 1/20/2/2014-मं0 दिनॉक 25 जून 2014 Order No. 1/20/2/2014-Cab. Dated 25th June, 2014	मंत्रिमडल सचिवालय Cabinet Secretariat

(संजीत कुमार भगत)
(Sanjeet Kumar Bhagat)
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)
Section Officer (Coord.)
Tele. No. 23766160

सेवा में
To

1. All Wing Heads / All Division Heads in the Ministry.
2. Heads of all Organizations under MOWR.
3. PS to Hon'ble Minister (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
4. PS to Hon'be MoS (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
5. Sr. PPS to Secretary(WR)
6. PS to AS(WR)
7. Guard file.

प्रलेख सं0 सीडी 440/2014
(संशोधन अवलि सं0 65)

सं0 1/20/2/2014-मंत्रि0
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, तारीख 25 जून, 2014
आषाढ़ 4, 1936 (शक)

आदेश

प्रधानमंत्री, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:-

प्रथम अनुसूची में,-

(क) आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम सं0 2 में, "कृत्य" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) बारी के बिना सरकारी आवास आबंटित करने को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत या नियम और निबंधन और शर्तें अवधारित करना;

(ii) विभिन्न प्रवर्गों के अपात्र व्यक्तियों और संगठनों को सरकारी आवास के आबंटन और उनसे प्रभारित किए जाने वाले किराए की दर का विनिश्चय करना;

(iii) संसद-सदस्यों को साधारण पूल से आवास आबंटन के प्रश्न पर विचार करना;

(iv) केन्द्रीय सरकार के विद्यमान कार्यालयों को दिल्ली से बाहर के स्थानों में ले जाने और नए कार्यालयों को दिल्ली में स्थान देने के प्रस्तावों पर विचार करना; और

(v) निम्नलिखित से संबंधित प्रस्तावों पर विचार और विनिश्चय करना-

(क) विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के आवास मानों का पुनरीक्षण करना;

(ख) विभिन्न टाइपों के सरकारी आवासों के लिए अनुज्ञप्ति फीस का पुनरीक्षण करना; और

(ग) अन्य विषय जैसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रवर्गों के सेवकों को 'केन्द्रीय पूल' या 'विशेष पूल' से आवास का आबंटन ।

[आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक के कार्यवृत्त को प्रधान मंत्री के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा]"।

...2/-

(1)-3

(ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम सं0 3 में, ''कृत्य'' शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

''(i) देश के लिए संगत और समाकलित आर्थिक नीति का ढांचा तैयार करने हेतु आर्थिक रुझानों, समस्याओं और संभाव्यताओं का सतत आधार पर पुनर्विलोकन करना;

(ii) उच्चतम स्तर पर नीति संबंधी विनिश्चयों की अपेक्षा करने वाले आर्थिक क्षेत्र के सभी कार्यकलापों, जिनके अंतर्गत विदेशी विनिधान भी है, के बारे में निदेश देना और उनका समन्वय करना;

(iii) कृषि उत्पादों की कीमत नियत करने तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री और उत्पादों की बाबत कीमत नियंत्रण से संबंधित विषयों को निपटाना;

(iv) किसी भी प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण के अधीन आवश्यक वस्तुओं या थोक माल की कीमतों में वृद्धि के संबंध में कार्रवाई करना;

(v) पब्लिक सेक्टर विनिधान के लिए प्राथमिकताएं अधिकथित करना और निम्नलिखित के बारे में विचार करना:

(क) लोक विनिधान बोर्ड/व्यय वित्त समिति/रेल के विस्तारित बोर्ड द्वारा उनकी की गई सिफारिशों सहित तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक के विनिधान के प्रस्ताव; और
(ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति जैसे अन्य मूल्यांकन मंचों/समितियों द्वारा, ऐसे मंच द्वारा अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिकथित/अनुमोदित सीमा से अधिक के ऐसे सिफारिश किए गए प्रस्ताव, किन्तु इसमें नई कंपनियों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाले यानों आदि की स्थापना अथवा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य या उच्चतर वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन वाले पदों के सृजन संबंधी ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है, जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहेगा;

(vi) ऐसे प्रस्तावों के संबंध में, जिन्हें आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, समय-सीमा पार होने, परिधि में परिवर्तन, अवप्राक्कलन, आदि जैसे कारणों से अंतिम रूप से दिए गए लागत प्राक्कलनों अथवा पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों में हुई वृद्धि के मामलों पर विचार करना, जिसके लिए उसी प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में अनुबद्ध प्रक्रिया लागू होगी;

(vii) औद्योगिक अनुज्ञापन संबंधी नीतियों और प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, जिनमें संयुक्त सेक्टर उपकर्मों की स्थापना संबंधी मामले शामिल है;

...3/-

(viii) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन करना और उनके संरचनागत पुनर्गठन अथवा वित्तीय पुनर्गठन संबंधी मामलों पर विचार करना;

(ix) ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना, जिसमें लघु और सीमांत कृषकों से संबंधित कार्यकलाप भी है;

(x) प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों या परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अंतर्वलित मंत्रालयों, अभिकरणों और पब्लिक सेक्टर उपकमों/अन्य निकायों की उपलब्धियों का पुनर्विलोकन करना;

(xi) विनिवेश संबंधी मुद्दों पर विचार करना तथा निम्नलिखित के बारे में विनिश्चय करना:-

(क) संव्यवहार का अंतिम कीमत निर्धारण अथवा ऐसे कीमत निर्धारण के लिए सिद्धांतों/दिशा-निर्देशों को अधिकथित करना; और

(ख) कार्यनीतिक बिक्री के मामले में अनुकूल भागीदार ।

(xii) भारत सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में धारित शेयरों की बिक्री के कीमत बैंड और अंतिम कीमत को विनिश्चित करना;

(xiii) देश में साधारण मूल्य स्थिति को मॉनीटर करना और समुचित सुधारात्मक उपायों को विनिश्चित करना जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित उपाय भी है;

(xiv) सभी आवश्यक और कृषि संबंधी वस्तुओं की आंतरिक उपलब्धता का मूल्यांकन करना और प्रभावी उपायों को प्राधिकृत करना;

(xv) सभी आवश्यक और कृषि संबंधी वस्तुओं, विशेषतया भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से, के निर्यात पर, घरेलू बाजार पर मूल्य संबंधी विवक्षा को ध्यान में रखते हुए, विनिश्चय करना;

(xvi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल और प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार करना और प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्यों को अवधारित करना;

(xvii) कीमतों के स्थिरीकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय को बढ़ाने, जिसके अंतर्गत आयात भी है, के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करना;

(xviii) आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित सांविधिक उपबंधों के प्रवर्तन संबंधी उपायों का पुनर्विलोकन करना;

...4/-

D-5

(xix) विश्व व्यापर संगठन संबंधी मुद्दों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना;

(xx) भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दे, जिसके अंतर्गत उसके संगठन, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और उक्त प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति भी है, पर विचार करना ।"।

(ग) प्राकृतिक आपदा प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम सं0 4, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम सं0 7, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ड.) विश्व व्यापार संगठन मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित क्रम सं0 9, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(च) भारतीय यूनीक पहचान प्राधिकरण से संबंधित मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति से संबंधित क्रम सं0 11, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(छ) 'स्थायी समिति का नाम' शीर्षक वाले कॉलम के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 5, 6, 8, 10 और 12 क्रमशः क्रम संख्यांक 4, 5, 6, 7 और 8 के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगी ।

एस0के0 वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
कृते मंत्रिमंडल सचिव
दूरभाष: 23019170

सेवा में,

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य ।

एस0के0 वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
कृते मंत्रिमंडल सचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः-

राष्ट्रपति के सचिव
उप-राष्ट्रपति के सचिव

एस0के0 वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
अवर सचिव, भारत सरकार

...5/-

(1)-6

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः-

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ।

एस॰के॰ वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि, भारत सरकार के सभी सचिवों/विशेष सचिवों/अपर सचिवों/अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड/स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

एस॰के॰ वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

एस॰के॰ वलियथन

(एस0के0 वलियथन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतियां : 300

Doc. No. CD 440/2014.
(Amendment Series No. 65)

No.1/20/2/2014-Cab.
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)
RASHTRAPATI BHAVAN
****

New Delhi, the 25th June, 2014
Ashadha 4, 1936 (s)

ORDER

In pursuance of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, the Prime Minister hereby makes the following further amendments to the said rules, namely:–

In the FIRST SCHEDULE,–

(A) against serial number 2 relating to the Cabinet Committee on Accommodation, under the heading "Functions", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) to determine the guidelines or rules and terms and conditions to govern out-of-turn allotment of Government accommodation;

(ii) to decide upon the allotment of Government accommodation to various categories of non-eligible persons and organisations and the rate of rent to be charged from them;

(iii) to consider the question of allotment of accommodation from the General Pool to the Members of Parliament;

(iv) to consider proposals regarding shifting of existing Central Government Offices to places outside Delhi and the location of new offices in Delhi; and

(v) to consider and decide upon the proposals relating to-

(a) revision of scales of accommodation to various categories of persons;

(b) revision of licence fee for various types of Government accommodation; and

(c) other matters like allotment of accommodation to the various categories of Central Government servants from the 'Central Pool' or 'Special Pool'.

[The minutes of the meeting of the Cabinet Committee on Accommodation will be finalized with the approval of the Prime Minister]".

...2/-

7

(B) against serial number 3 relating to the Cabinet Committee on Economic Affairs, under the heading "Functions", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) to review on a continuous basis economic trends, problems and prospects for evolving a consistent and integrated economic policy framework for the country;

(ii) to direct and co-ordinate all activities in the economic field requiring policy decisions at the highest level including foreign investment;

(iii) to deal with matters relating to fixation of prices of agricultural products and price control in respect of industrial raw materials and products;

(iv) to deal with increase in the prices of essential commodities or bulk goods under any form of formal or informal control;

(v) to lay down priorities for public sector investment and to consider:

(a) proposals for investment of more than rupees three hundred crore including those recommended by the Public Investment Board/Expenditure Finance Committee/Expanded Board of the Railways; and

(b) proposals recommended by other appraisal fora/Committee such as Public Private Partnership Appraisal Committee beyond the threshold laid down/ approved by the Competent Authority for approval by such fora but does not include proposals involving setting up of new Companies, Autonomous Bodies, Institutions, Special Purpose Vehicles, etc. or creation of posts carrying pay scale or pay band plus Grade Pay equivalent to that of a Joint Secretary to the Government of India and higher, which shall continue to be placed before the Cabinet;

(vi) to consider cases of increase in the firmed up cost estimates or revised cost estimates due to reasons such as time overrun, changes in scope, under-estimation, etc. in respect of proposals that are required to be placed before the Cabinet Committee on Economic Affairs for which the procedure stipulated in the Second Schedule to the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, in respect of similar cases will apply;

(vii) to deal with industrial licensing policies and proposals including those relating to establishment of Joint Sector Undertakings;

...3/-

8

(1)-9

(viii) to review the performance of Central Public Sector Enterprises and consider the cases relating to their structural re-organisation or financial restructuring;

(ix) to review progress of activities related to rural development including those concerning small and marginal farmers;

(x) to review the accomplishments of the Ministries, Agencies and Public Sector Undertakings/other bodies involved in implementation of prioritised schemes or projects;

(xi) to consider issues relating to disinvestment and to decide:–

(a) the final pricing of the transaction or lay down the principles/ guidelines for such pricing; and

(b) the strategic partner in case of the strategic sale.

(xii) to decide the price band and final price of sale of shares held by the Government of India in all Central Public Sector Enterprises;

(xiii) to monitor the general price situation in the country and to decide upon appropriate corrective measures including measures relating to prices of essential commodities;

(xiv) to assess the internal availability of all essential and agricultural commodities and to authorise effective steps;

(xv) to take decisions on export of all essential and agricultural commodities particularly from Food Corporation of India stocks keeping in view the price implications for the domestic market;

(xvi) to consider measures required for making the Public Distribution System more efficient and effective and to determine the prices of articles supplied through the System;

(xvii) to consider measures necessary for augmenting the supply of requisite commodities for stabilizing the prices including through imports;

(xviii) to review measures regarding enforcement of the Essential Commodities Act and other related statutory provisions;

...4/-

(xix) to consider and decide on issues pertaining to the World Trade Organization; and

(xx) to consider issues relating to the Unique Identification Authority of India including its organization, plans, policies, programmes, schemes, funding and methodology to be adopted for achieving the objectives of that Authority.".

(C) serial number 4 relating to the Cabinet Committee on Management of Natural Calamities, and the entries relating thereto shall be omitted;

(D) serial number 7 relating to the Cabinet Committee on Prices, and the entries relating thereto shall be omitted;

(E) serial number 9 relating to the Cabinet Committee on World Trade Organisation Matters, and the entries relating thereto shall be omitted;

(F) serial number 11 relating to the Cabinet Committee on Unique Identification Authority of India related issues, and the entries relating thereto shall be omitted;

(G) the existing serial numbers 5, 6, 8, 10 and 12 under the heading "Name of the Standing Committee" shall be re-numbered as serial numbers 4, 5, 6, 7 and 8 respectively.

(S. K. Valiathan)
for Cabinet Secretary
Tele: 2301 9170

To
All Members of the Council of Ministers.

(S. K. Valiathan)
for Cabinet Secretary

***

Copy also forwarded for information to:-

Secretary to the President.
Secretary to the Vice-President.

(S. K. Valiathan)
Under Secretary to the Government of India

...5/-

Copy also forwarded for information to: -

Principal Secretary to the Prime Minister.

(S. K. Valiathan)
Under Secretary to the Government of India

***

Copy forwarded to all Secretaries/Special Secretaries/Additional Secretaries to the Government of India/Chairman, Railway Board/Establishment Officer, Department of Personnel and Training, for information.

(S. K. Valiathan)
Under Secretary to the Government of India

***

Copy forwarded to the Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice for information.

(S. K. Valiathan)
Under Secretary to the Government of India

Copies: 300